

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

संख्या: 21/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम जाति जाट निवासी जाखडो की ढाणी, ज्ञानदासपुरा,  
दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

व ना म

राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती

उपस्थिति—

1. श्री बन्शीधर बाज्या, रिछपालसिंह कस्वां वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक — 09.03. 2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 487, 488, 490 ता 492, 606 ता 608 किता 8 कुल रकबा 4.0700 है0 व ख.नं. 599 ता 604, 609, 611, 612, 615 ता 617, 827 किता 13 कुल रकबा 5.2700 है0 व ख.नं. 618 ता 625, 635, 636 किता 10 कुल रकबा 2.9600 है0 व ख.नं. 597, 610 कुल रकबा 0.15 है0 एवं ख.नं. 596 रकबा 1.80 है0 ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों में वादी का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है, उक्त खातेदारी वादी के नाम झाबर पुत्र रामला के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम है जो परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में वादी का नाम इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम दर्ज है। यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम की जगह झाबर पुत्र रामला दर्ज हो गया है जो गलत है, झाबर पुत्र रामला की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम के स्थान पर झाबर पुत्र रामला दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम है तथा इबरू राम जाखड पुत्र रामू राम व झाबर पुत्र रामला एक ही व्यक्ति है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 487, 488, 490 ता 492, 606 ता 608 किता 8 कुल रकबा 4.0700 है0 व ख.नं. 599 ता 604, 609, 611, 612, 615 ता 617, 827 किता 13 कुल रकबा 5.2700 है0 व ख.नं. 618 ता

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ


635, 636 किता 10 कुल रकबा 2.9600 है0 व ख.नं. 597, 610 कुल रकबा 0.15 है0 एवं ख.नं. 596 रकबा 1.80 है0 ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम झाबर पुत्र रामला के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम झबरू राम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम झाबर पुत्र रामला के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम झबरू राम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम दांता जमाबन्दी सं. 2033-2036 में नामा. सं. 789-90 के द्वारा रामू के फोट होने झाबर पुत्र रामू के नाम से विरासत से आया। वादी के पेन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में वादी का नाम झबरूराम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत दांता द्वारा जारी प्रमाण पत्र में झाबर पुत्र रामूराम व झबरूराम पुत्र रामूराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादी का नाम झाबर उर्फ झबरूराम पुत्र रामूराम किया जाना अचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 487, 488, 490 ता 492, 606 ता 608 किता 8 कुल रकबा 4.0700 है0 व ख.नं. 599 ता 604, 609, 611, 612, 615 ता 617, 827 किता 13 कुल रकबा 5.2700 है0 व ख.नं. 618 ता 625, 635, 636 किता 10 कुल रकबा 2.9600 है0 व ख.नं. 597, 610 कुल रकबा 0.15 है0 एवं ख.नं. 596 रकबा 1.80 है0 ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम झाबर पुत्र रामला के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम झबरू राम जाखड़ पुत्र रामूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबन्दी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.03.2021 को

खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

# अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्बा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

झबरुराम जाखड

बनाम

तहसीलदार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 21/दावा सन् 2021

निर्णय दिनांक. 09.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री बन्शीधर बाज्या व रिछपालसिंह कस्वां मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा भूमि खसरा 487, 488, 490 ता 492, 606 ता 608 किता 8 कुल रकबा 4.0700 है० व ख.नं. 599 ता 604, 609, 611, 612, 615 ता 617, 827 किता 13 कुल रकबा 5.2700 है० व ख.नं. 618 ता 625, 635, 636 किता 10 कुल रकबा 2.9600 है० व ख.नं. 597, 610 कुल रकबा 0.15 है० एवं ख.नं. 596 रकबा 1.80 है० ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तह० दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम झाबर पुत्र रामला के नाम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर झबरुराम जाखड पुत्र रामूराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।


बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.03.2021 को जारी की गई।



इब्तदाई  
उपखण्ड अधिकारी अक्षयारामगढ

	संख्या	दिनांक	पुस्तकनाम	संख्या	दिनांक
राज्य कांजी पत्र	6	00	राज्य कांजीपत्र	1	00
राज्य कांजीपत्र	1	00	राज्य कांजी		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	--	--	राज्य कांजीपत्र		
राज्य कांजीपत्र	6	00	राज्य कांजीपत्र	1	00
राज्य कांजीपत्र			राज्य कांजीपत्र	0	00
राज्य कांजीपत्र	15	00	राज्य कांजीपत्र	1	00

नोट: इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च हर दो फरवरी को, चाहे विकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना पड़ेगा।

  
 (अशोक कुमार)  
 उपरखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़  
 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़